

# Protected Area Network

In India, the protected area network is established under the provisions of the Wildlife Protection Act, 1972. These protected areas are primarily meant to protect wildlife and their habitat, and promote their ecological well-being.

They are used either as wildlife habitats or wildlife corridors.

Once an area is notified under the protected area network, the forest working plan is superseded by the wildlife protection plan.

भारत में, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। ये संरक्षित क्षेत्र मुख्य रूप से वन्यजीवों और उनके आवास की रक्षा करने और उनके पारिस्थितिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हैं।

इनका उपयोग या तो वन्यजीव आवास या वन्यजीव गलियारे के रूप में किया जाता है।

एक बार जब कोई क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के तहत अधिसूचित हो जाता है, तो वन कार्य योजना को वन्यजीव संरक्षण योजना द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।

## Protected Areas of India (As on July, 2023)

| Legal Status of Protected Area | Nos.        | Total Area (sq.km.) | Coverage % of Country |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| National Park                  | 106         | 44,402.94           | 1.35                  |
| Wildlife Sanctuary             | 573         | 127,197.55          | 3.87                  |
| Community Reserve              | 220         | 1,455.15            | 0.04                  |
| Conservation Reserves          | 123         | 5,585.05            | 0.17                  |
| <b>Total PAs</b>               | <b>1022</b> | <b>1,78,640.69</b>  | <b>5.43</b>           |

## नेशनल पार्क

- किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है यदि उसमें निम्नलिखित में से कोई एक हो:
  1. पारिस्थितिक महत्व
  2. जन्तु महत्व
  3. पदपीय महत्व
  4. भू-आकृति विज्ञान संबंधी महत्व

## 5. प्राणीशास्त्रीय महत्व

- इसका उद्देश्य वन्य जीवन या उसके पर्यावरण की रक्षा या विकास करना है।
- राष्ट्रीय उद्यान केंद्र या राज्य द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं लेकिन अंततः राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा कई तरीकों से शासित होते हैं।
- कुछ शर्तों के तहत मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमति दी गई गतिविधियों को छोड़कर, राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है।
- भारत में वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
- ये पार्क 44,402.95 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करते हैं।
- उनका अपना प्रशासनिक सेटअप होता है।
- इन्हें केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है।
- इन्हें कोर और बफर में बांटा जाता है।
  - कोर क्षेत्र अत्यधिक संरक्षित होता है। इस क्षेत्र के भीतर किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है। वे वन्यजीव संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं।
  - बफर क्षेत्र में, राष्ट्रीय उद्यान प्रशासन द्वारा अनुमति के अनुसार बहुत सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।
- राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतर सीमाएँ स्पष्ट होती हैं और कई में बाड़ से बनी होती हैं।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना राष्ट्रीय उद्यान की किसी भी भूमि को गैर-वन प्रयोजन के लिए हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में तब तक परिवर्तन की अनुमति नहीं है जब तक कि इसकी अनुमति राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधान मंत्री हैं, द्वारा न दी जाए।

## National Park

- An area can be declared a National Park if it has any one of the following:
  1. Ecological importance
  2. Faunal importance
  3. Floral importance
  4. Geomorphological importance
  5. Zoological importance
- National Parks can be established by the centre or the state but ultimately governed in several manners by the National Board for Wildlife.
- The purpose is to protect, propagate, or develop wildlife or its environment.

- No human activity is allowed in the national park, except the ones permitted by the Chief Wildlife Warden under certain conditions.
- There are currently 106 national parks in India.
- These parks cover an area of 44,402.95 sq km.
- They have their own administrative setup.
- They receive central government financial support.
- They are divided into core and buffer. The core area is highly protected. No human activity is allowed within the core area they are most important for wildlife protection. In the buffer area, very limited human activities can be allowed as permitted by the national Park administration.
- No land of the National Park can be diverted to non-forest purpose without the approval of the Supreme Court of India.
- The alteration in the boundaries of national Park is not permitted until it is permitted by the national bird of wildlife, the chairperson of which is the prime minister of India.
- Most of the national parks have well defined boundaries. Some of them have even fenced boundaries.

#### List of National Parks (As on July, 2023)

| Name of State     | No. of PAs | Name of Protected Area    | Year of Creation | Area (in km2) |
|-------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------|
| Andhra Pradesh    | 1          | Papikonda                 | 2008             | 1012.8588     |
|                   | 2          | Rajiv Gandhi (Rameswaram) | 2005             | 2.3952        |
|                   | 3          | Sri Venkateswara          | 1989             | 353.62        |
| Arunachal Pradesh | 1          | Mouling                   | 1986             | 483.00        |
|                   | 2          | Namdapha                  | 1983             | 1807.82       |
| Assam             | 1          | Dibru-Saikhowa            | 1999             | 340.00        |
|                   | 2          | Dihing Patkai             | 2021             | 234.26        |
|                   | 3          | Kaziranga                 | 1974             | 889.51        |
|                   | 4          | Manas                     | 1990             | 500.00        |

|                           |   |                           |      |         |
|---------------------------|---|---------------------------|------|---------|
|                           | 5 | Nameri                    | 1998 | 200.00  |
|                           | 6 | Rajiv Gandhi (Orang)      | 1999 | 78.81   |
|                           | 7 | Raimona                   | 2021 | 422.00  |
| <b>Bihar</b>              | 1 | Valmiki                   | 1989 | 335.65  |
| <b>Chhattisgarh</b>       | 1 | Guru Ghasidas (Sanjay)    | 1981 | 1440.71 |
|                           | 2 | Indravati (Kutru)         | 1982 | 1258.37 |
|                           | 3 | Kanger Valley             | 1982 | 200.00  |
| <b>Goa</b>                | 1 | Mollem                    | 1992 | 107.00  |
| <b>Gujarat</b>            | 1 | Blackbuck (Velavadar)     | 1976 | 34.53   |
|                           | 2 | Gir                       | 1975 | 258.71  |
|                           | 3 | Marine (Gulf of Kachchh)  | 1982 | 162.89  |
|                           | 4 | Vansda                    | 1979 | 23.99   |
| <b>Haryana</b>            | 1 | Kalesar                   | 2003 | 46.82   |
|                           | 2 | Sultanpur                 | 1989 | 1.43    |
| <b>Himachal Pradesh</b> ★ | 1 | Great Himalayan           | 1984 | 754.40  |
|                           | 2 | Inderkilla                | 2010 | 94.00   |
|                           | 3 | Khirganga                 | 2010 | 705.00  |
|                           | 4 | Pin Valley                | 1987 | 675.00  |
|                           | 5 | Col. Sherjung Simbalbara  | 2010 | 27.88   |
| <b>Jharkhand</b>          | 1 | Betla                     | 1986 | 226.33  |
| <b>Karnataka</b>          | 1 | Anshi                     | 1987 | 417.34  |
|                           | 2 | Bandipur                  | 1974 | 872.24  |
|                           | 3 | Bannerghatta              | 1974 | 260.51  |
|                           | 4 | Kudremukh                 | 1987 | 600.57  |
|                           | 5 | Nagarahole (Rajiv Gandhi) | 1988 | 643.39  |
| <b>Kerala</b>             | 1 | Anamudi Shola             | 2003 | 7.50    |
|                           | 2 | Eravikulam                | 1978 | 97.00   |
|                           | 3 | Mathikettan Shola         | 2003 | 12.82   |

|                       |    |                           |      |         |
|-----------------------|----|---------------------------|------|---------|
|                       | 4  | Pambadum Shola            | 2003 | 1.32    |
|                       | 5  | Periyar                   | 1982 | 350.00  |
|                       | 6  | Silent Valley             | 1984 | 89.52   |
| <b>Madhya Pradesh</b> | 1  | Bandhavgarh               | 1968 | 448.842 |
|                       | 2  | Dinosaur Fossils          | 2011 | 0.897   |
|                       | 3  | Fossil                    | 1983 | 0.27    |
|                       | 4  | Pench                     | 1975 | 292.857 |
|                       | 5  | Kanha                     | 1955 | 941.793 |
|                       | 6  | Kuno                      | 2018 | 748.761 |
|                       | 7  | Madhav                    | 1959 | 375.23  |
|                       | 8  | Panna                     | 1981 | 542.66  |
|                       | 9  | Sanjay                    | 1981 | 464.643 |
|                       | 10 | Satpura                   | 1981 | 528.729 |
|                       | 11 | Van Vihar                 | 1979 | 4.452   |
| <b>Maharashtra</b>    | 1  | Chandoli                  | 2004 | 317.67  |
|                       | 2  | Gugamal                   | 1975 | 361.28  |
|                       | 3  | Nawegaon                  | 1975 | 133.88  |
|                       | 4  | Pench (Jawaharlal Nehru)  | 1975 | 257.26  |
|                       | 5  | Sanjay Gandhi (Borivilli) | 1983 | 86.96   |
|                       | 6  | Tadoba                    | 1955 | 116.55  |
| <b>Manipur</b>        | 1  | Keibul-Lamjao             | 1977 | 40.00   |
|                       | 2  | Shiroi                    | 1982 | 100.00  |
| <b>Meghalaya</b>      | 1  | Balphakram                | 1986 | 220.00  |
|                       | 2  | Nokrek Ridge              | 1997 | 47.48   |
| <b>Mizoram</b>        | 1  | Murlen                    | 2003 | 100.00  |
|                       | 2  | Phawngpui (Blue Mountain) | 1997 | 50.00   |
| <b>Nagaland</b>       | 1  | Intanki                   | 1993 | 202.02  |
| <b>Odisha</b>         | 1  | Bhitarkanika              | 1988 | 145.00  |
|                       | 2  | Simlipal                  | 1980 | 845.70  |
| <b>Rajasthan</b>      | 1  | Desert                    | 1992 | 3162.00 |

|                      |   |                            |      |          |
|----------------------|---|----------------------------|------|----------|
|                      | 2 | Keoladeo Ghana             | 1981 | 28.73    |
|                      | 3 | Mukundra Hills             | 2006 | 200.54   |
|                      | 4 | Ranthambhore               | 1980 | 282.00   |
|                      | 5 | Sariska                    | 1992 | 273.80   |
| <b>Sikkim</b>        | 1 | Khangchendzonga            | 1977 | 1784.00  |
| <b>Tamil Nadu</b>    | 1 | Guindy                     | 1976 | 2.7057   |
|                      | 2 | Gulf of Mannar Marine      | 1980 | 526.02   |
|                      | 3 | Indira Gandhi (Annamalai)  | 1989 | 117.10   |
|                      | 4 | Mudumalai                  | 1990 | 103.23   |
|                      | 5 | Mukurthi                   | 1990 | 78.46    |
| <b>Telangana</b>     | 1 | Kasu Brahmananda Reddy     | 1994 | 1.425    |
|                      | 2 | Mahaveer Harina Vanasthali | 1994 | 14.59    |
|                      | 3 | Mrugavani                  | 1994 | 3.60     |
| <b>Tripura</b>       | 1 | Clouded Leopard            | 2007 | 5.08     |
|                      | 2 | Bison (Rajbari)            | 2007 | 31.63    |
| <b>Uttar Pradesh</b> | 1 | Dudhwa                     | 1977 | 490.00   |
| <b>Uttarakhand</b>   | 1 | Corbett                    | 1936 | 520.82   |
|                      | 2 | Gangotri                   | 1989 | 2390.02  |
|                      | 3 | Govind                     | 1990 | 472.08   |
|                      | 4 | Nanda Devi                 | 1982 | 624.60   |
|                      | 5 | Rajaji                     | 1983 | 820.00   |
|                      | 6 | Valley of Flowers          | 1982 | 87.50    |
| <b>West Bengal</b>   | 1 | Buxa                       | 1992 | 117.10   |
|                      | 2 | Gorumara                   | 1992 | 79.45    |
|                      | 3 | Jaldapara                  | 2014 | 216.34   |
|                      | 4 | Neora Valley               | 1986 | 159.8917 |
|                      | 5 | Singalila                  | 1986 | 78.60    |
|                      | 6 | Sunderban                  | 1984 | 1330.10  |

|                                      |   |                                  |      |         |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|------|---------|
| <b>Andaman &amp; Nicobar Islands</b> | 1 | Campbell Bay                     | 1992 | 426.23  |
|                                      | 2 | Galathea Bay                     | 1992 | 110.00  |
|                                      | 3 | Mahatama Gandhi Marine (Wandoor) | 1983 | 281.50  |
|                                      | 4 | Mount Harriett                   | 1987 | 46.62   |
|                                      | 5 | Rani Jhansi Marine               | 1996 | 320.06  |
|                                      | 6 | Saddle Peak                      | 1987 | 32.54   |
| <b>Jammu &amp; Kashmir</b>           | 1 | City Forest (Salim Ali)          | 1992 | 9.07    |
|                                      | 2 | Dachigam                         | 1981 | 141.00  |
|                                      | 3 | Kazinag                          | 2000 | 90.88   |
|                                      | 4 | Kishtwar High Altitude           | 1981 | 2191.50 |
| <b>Ladakh</b>                        | 1 | Hemis                            | 1981 | 3350.00 |

## Wildlife Sanctuaries

- वन्यजीव अभयारण्य आरक्षित वनों या क्षेत्रीय जल को छोड़कर कोई भी क्षेत्र है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
- इन क्षेत्रों का पर्याप्त पारिस्थितिक महत्व होना चाहिए
  1. जीव-जन्तु महत्व
  2. पुष्प महत्व
  3. भू-आकृति विज्ञान महत्व
  4. प्राकृतिक महत्व
  5. प्राणीशास्त्रीय महत्व
- यदि अभयारण्य क्षेत्र में भारत का क्षेत्रीय जल शामिल है, तो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
- कुछ मामलों में, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड राज्य सरकार को कुछ महत्वपूर्ण जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो एक वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करने पर विचार करने की सलाह भी दे सकता है।
- अभयारण्य का उद्देश्य वन्य जीवन या उसके पर्यावरण की रक्षा, प्रचार-प्रसार या विकास करना है।
- अभयारण्य क्षेत्र के अंदर कुछ प्रतिबंधित मानवीय गतिविधियों की अनुमति है। आम तौर पर, स्वतंत्रता का स्तर राष्ट्रीय उद्यान के मामले में जो देखा जाता है उससे कहीं अधिक है।

- भारत में वर्तमान में 567 मौजूदा वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो 125564.86 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हैं।
- Difference between a WLS and National Park:

| मानदंड                            | वन्यजीव अभयारण्य  | राष्ट्रीय उद्यान   |
|-----------------------------------|---|--|
| स्थापना                           | आरक्षित वनों या क्षेत्रीय जल को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।  | केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जा सकता है।  |
| प्रशासन                           | संबंधित वन प्रभाग प्रशासन द्वारा प्रशासित।  | अपना प्रशासन होता है।  |
| फंडिंग                            | बड़े पैमाने पर या पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित। यदि किसी राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण परियोजना के तहत इसका उपयोग किया जाता है, तो इसे केंद्रीय अनुदान भी प्राप्त होगा। | मुख्यतः केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।  |
| जोनों में विभाजन                  | कोर एवं बफर जोन में विभाजित नहीं किया गया है।   | इन्हें हमेशा कोर और बफर जोन में विभाजित किया जाता है।  |
| मानवीय गतिविधियाँ                 | कुछ प्रतिबंधित मानवीय गतिविधियों की अनुमति है। मानवीय गतिविधियों के लिए स्वतंत्रता का स्तर आमतौर पर राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अधिक होता है।                                   | कुछ शर्तों के तहत मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमत गतिविधियों को छोड़कर किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है। |
| प्रादेशिक जल समावेशन              | यदि अभयारण्य क्षेत्र में भारत का क्षेत्रीय जल शामिल है, तो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है।  | ऐसी किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।   |
| राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की भूमिका | राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार को एक वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करने पर विचार करने की सलाह दे सकता है।            | राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना को मंजूरी देने वाली मुख्य संस्था राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ही है।                        |

- A Wildlife Sanctuary is any area, excluding reserve forests or territorial waters, that can be notified by the State Government.
- If the sanctuary area includes territorial water of India, a prior approval of the Central Government is required.
- In some cases, the National Board for Wildlife may also advise the State Government to consider setting up a Wildlife Sanctuary if required for the protection of some important wild fauna.
- These areas should have adequate ecological significance
  1. Faunal significance
  2. Floral significance
  3. Geomorphological significance

#### 4. Natural significance

#### 5. Zoological significance

- The purpose of a sanctuary is to protect, propagate, or develop wildlife or its environment.
- Some restricted human activities are allowed inside the Sanctuary area. Usually, the level of freedom is more than what is seen in case of a National Park.
- There are currently 567 existing wildlife sanctuaries in India, covering an area of 125564.86 square km.
- Difference between a WLS and National Park

| Criteria                                | Wildlife Sanctuary   | National Park   |
|---|--|---|
| Establishment                           | Can be notified by the State Government, excluding reserve forests or territorial waters.  | Can be established by either the central or the state government.   |
| Administration                          | Administered by the concerned Forest Division administration.  | Has its own administration.   |
| Funding                                 | Largely or entirely funded by the State Government. If used under any national wildlife conservation project, it will receive central funding also.                      | Receives central government financial support.  |
| Division into Zones                     | Not divided into core and buffer zones.  | Always divided into core and buffer zones.  |
| Human Activities                        | Some restricted human activities are allowed. Level of freedom for human activities is usually more than in a National Park.   | No human activity is allowed except the ones permitted by the Chief Wildlife Warden under certain conditions. |
| Territorial Water Inclusion             | If the sanctuary area includes territorial water of India, prior approval of the Central Government is required.   | No such approval required.  |
| National Board for Wildlife Involvement | The National Board for Wildlife may advise the State Government to consider setting up a Wildlife Sanctuary if required for the protection of some important wild fauna. | The main body to approve setting up of a National Park is the National Board for Wildlife.                    |

## Conservation Reserves

- संरक्षण अभयारण्य भारत में एक प्रकार के वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र हैं।
- वे आम तौर पर स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और भारत के आरक्षित और संरक्षित जंगलों के बीच बफर जोन या कनेक्टर और माइग्रेशन कॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं।
- ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण क्षेत्र के रूप में नामित किया जाता है यदि वे निर्जन हैं और पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में हैं लेकिन समुदायों द्वारा जीवन-निर्वाह के लिए उपयोग किए जाते हैं।

### विधान

- संरक्षण रिजर्व पहली बार वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2002 में पेश किए गए थे, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में एक संशोधन था।
- इन श्रेणियों को भूमि के निजी स्वामित्व और भूमि उपयोग के कारण मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास कम सुरक्षा के कारण जोड़ा गया था।

### घोषणा और प्रबंधन

- राज्य सरकार सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी क्षेत्र को, विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से सटे और एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे से जोड़ने वाले क्षेत्र को, परिदृश्य, समुद्री दृश्यों, वनस्पतियों और जीवों और उनके आवास की रक्षा के लिए संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित कर सकती है।
- यदि संरक्षण रिजर्व में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कोई भूमि शामिल है, तो ऐसी घोषणा करने से पहले इसकी पूर्व सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधान संरक्षण रिजर्व पर उसी तरह लागू होते हैं जैसे वे किसी अभयारण्य पर लागू होते हैं।

### संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समिति

- राज्य सरकार मुख्य वन्यजीव वार्डन को संरक्षण रिजर्व के संरक्षण, प्रबंधन और रखरखाव के लिए सलाह देने के लिए एक संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समिति का गठन करती है।

- Conservation Reserves are a type of wildlife protected areas in India.
- They typically act as buffer zones or connectors and migration corridors between established national parks, wildlife sanctuaries, and reserved and protected forests of India.

### Designation

- Areas are designated as conservation areas if they are uninhabited and completely owned by the Government but used for subsistence by communities.

### Legislation

- Conservation Reserves were first introduced in the Wildlife (Protection) Amendment Act of 2002, an amendment to the Wildlife Protection Act of 1972.
- These categories were added due to reduced protection in and around existing protected areas because of private ownership of land and land use.

### **Declaration and Management**

- The State Government may declare any area owned by the Government, particularly those adjacent to National Parks and sanctuaries and those linking one protected area with another, as a conservation reserve for protecting landscapes, seascapes, flora and fauna, and their habitat.
- If the conservation reserve includes any land owned by the Central Government, its prior concurrence must be obtained before making such a declaration.
- The provisions of the Wildlife Protection Act apply to a conservation reserve in the same manner as they do to a sanctuary.

### **Conservation Reserve Management Committee**

- The State Government constitutes a Conservation Reserve Management Committee to advise the Chief Wildlife Warden to conserve, manage, and maintain the conservation reserve.

## **Community Reserves**

- सामुदायिक अभयारण्य भारत में एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है।
- वे किसी राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या संरक्षण रिजर्व का हिस्सा नहीं हैं।

### **घोषणा**

- राज्य सरकार किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को सामुदायिक रिजर्व घोषित कर सकती है।
- यह वहां संभव है जहां समुदाय या किसी व्यक्ति ने वन्यजीव और उसके आवास के संरक्षण के लिए स्वेच्छा से भूमि दी है।
- इसका उद्देश्य जीव-जंतुओं, वनस्पतियों और पारंपरिक या सांस्कृतिक संरक्षण मूल्यों और प्रथाओं की रक्षा करना है।

### **प्रबंध**

- सामुदायिक रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी होने के बाद, सामुदायिक रिजर्व के भीतर भूमि उपयोग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
- राज्य सरकार एक सामुदायिक रिजर्व प्रबंधन समिति का गठन करती है।

- यह समिति सामुदायिक रिजर्व के संरक्षण, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- समिति में ग्राम पंचायत द्वारा या जहां ऐसी पंचायत मौजूद नहीं है, वहां ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा नामित कम से कम पांच प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- इसमें राज्य वन या वन्यजीव विभाग का एक प्रतिनिधि भी शामिल है जिसके अधिकार क्षेत्र में सामुदायिक रिजर्व स्थित है।
- समिति एक अध्यक्ष का चुनाव करती है जो मानद वन्य जीवन वार्डन भी होगा।
- कोई भी बदलाव प्रबंधन समिति द्वारा पारित और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार होना चाहिए।

- Community reserves are a type of protected area in India.
- They are not part of a National Park, sanctuary, or a conservation reserve.

### **Declaration**

- The State Government may declare any private or community land as a community reserve.
- This is possible where the community or an individual has volunteered to conserve wildlife and its habitat.
- The aim is to protect fauna, flora, and traditional or cultural conservation values and practices.

### **Management**

- After the issue of notification declaring a community reserve, no change in the land use pattern shall be made within the community reserve.
- The State Government constitutes a Community Reserve Management Committee.
  - This committee is responsible for conserving, maintaining, and managing the community reserve.
  - The committee consists of not less than five representatives nominated by the Village Panchayat or, where such Panchayat does not exist, by the members of the Gram Sabha.
  - It also includes one representative of the State Forests or Wildlife Department under whose jurisdiction the community reserve is located.
- Any changes must be in accordance with a resolution passed by the management committee and approved by the State Government.